उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निविदा सूचना

विभाग द्वारा समय–समय पर प्रदेश मुख्यालय तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नलिखित कार्यों के लिए पंजीकृत स्थानीय फर्मों से वित्तीय प्रस्ताव एव पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेज अलग–अलग लिफाफे में तथा एक बड़े लिफाफे में सील बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित होने की दशा में अगले कार्य दिवस को गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी। धरोहर धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 / एन0एस0सी0 / सी0डी0आर0 जो कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम पर बन्धक हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	निविदा क्रय की तिथि	निविदा खोले जाने की तिथि	धरोहर धनराशि
1.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बैठकों हेतु मासिक एवं दैनिक वाहन किराया।	विज्ञापन की तिथि से 28–09–2017 को 11.00 बजे तक	28–09–2017 3.00 बजे दोपहर	रू0 40.000.
2.	लाईट, साउण्ड तथा जनरेटर सेट किराया हेतु	विज्ञापन की तिथि से 29–09–2017 को 11.00 बजे तक	29–09–2017 3.00 बजे दोपहर	रू0 40.000.

निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि के अनुसार किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयान्तर्गत रू0 590/– मात्र की धनराशि नगद जमाकर संस्कृति निदेशालय, एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून से प्राप्त की जा सकती है। विभागीय वेबसाईट www.uttarakhandculture.in पर भी निविदा प्रपत्र एवं शर्तें उपलब्ध हैं। वेबसाईट से डाउनलोड करने पर निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 590/– नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट पृथक रूप से निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम पर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड।

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

राज्य तथा राज्य से बाहर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बैठकों, पर्वों में प्रतिभाग हेतु तथा स्थानीय स्तर पर मासिक किराये के वाहन हेतु निविदा प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2017–18

मूल्य – 500=00
जी0एस0टी0 – 90=00
कुल मूल्य – 590=00

1–निविदा सूचना सं0 ..../सं0नि0उ0/छः–41/2017–18 **दि0** . 2017

2– निविदा प्राप्त करने की तिथि– विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दि0 **28–09–2017** को 11.00 बजे पूर्वान्ह तक।

3–निविदा जमा करने की तिथि– दि0 **28–09–2017** को 2.00 बजे अपरान्ह तक।

4–निविदा खोले जाने की तिथि– दि0 **28–09–2017** को सायं 3.00 बजे।

5–निविदा प्रेषण स्थान– संस्कृति निदेशालय, एम0डी0डी0ए0 कालोनी, डालनवाला, चन्दर रोड, देहरादून।

6–निविदादाता फर्म/संस्था का नाम व पता ....

....

7–धरोहर धनराशि– रू0 40,000/– (चालीस हजार)

8–वाहन विवरण :–

क्र0	वाहन विवरण	मासिक किराया (लोकल) हेतु	उत्तराखण्ड राज्य में		उत्तराखण्ड राज्य से बाहर		वाहन 8.00 घण्टे प्रयोग में होने के पश्चात हाल्ट प्रति घण्टा दर
			ए0सी0 प्रति कि0मी0 दरें	नान ए0सी0 प्रति कि0मी0 दरें	ए0सी0 प्रति कि0मी0 दरें	नान ए0सी0 प्रति कि0मी0 दरें	
1	एम्बेसेडर						
2	मर्सडीज						
3	इण्डिका						
4	होण्डासिटी						
5	टाटा सूमो						
6	टाटा इण्डिगो						
7	क्वालिस						
8	स्कोर्पियो						
9	जाइलो						
10	इनोवा						
11	स्वीप्ट डिजायर						
12	टेम्पो ट्रेवला–12 सीटर						
13	मिनी बस– 22 सीटर						
14	मिनी बस– 32 सीटर						
15	बड़ी बस– 42 सीटर						
16	बड़ी बस– 52 सीटर						
17	टाटा 407 सामान ढुलान हेतु						

नियम एवं शर्ते

1. दरें वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु मान्य होगी। आवश्यकतानुसार अवधि बढायी जा सकती है।
2. राज्य में तथा राज्य से बाहर वाहन 8 घण्टे प्रयोग होने के पश्चात ही हाल्टिंग चार्जेज देय होगा।
3. राज्य में 100 किमी0 प्रतिदिन की दर से देय किराया अंकित करें।
4. नियमानुसार जी0एस0टी0 की दरें अंकित करें।
5. वाहन अच्छी स्थिति का तथा पंजीकृत हो एवं चालक के पास पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र हेतु वैद्य लाइसेंस होना अनिवार्य है।
6. मांग के अनुसार तत्काल वाहन उपलब्ध कराने होंगे।
7. निविदा के साथ 40,000/–मात्र की एफ0डी0आर/एन0एस0सी0/सी0डी0आर0 जो कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून, के नाम बन्धक हो, संलग्न करना होगा।
8. समस्त वाहन वर्ष 2011 के बाद के पंजीकृत हों।
9. फर्म/संस्था/एजेन्सी का पेन नं0 एवं जी0एस0टी0 न0 छायाप्रति संलग्न करें।
10. वाहनों के पंजीकरण एवं बीमा से सम्बन्धित अन्य आवश्यक प्रपत्र पूर्ण होने चाहिए।
11. वाहन में फ्यूल, टोल, स्टेण्ड पार्किंग तथा अन्य व्यय स्वयं वाहन स्वामी/फर्म को वहन करना होगा।
12. राजकीय विभागों में कार्य करने वाली फर्मो को वरीयता दी जाएगी।
13. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
14. मूल निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
15. फर्म का टर्न ओवर रूपये दस लाख या उससे अधिक हो । गत दो वर्ष का आयकर रिर्टन सी0ए0 द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
16. वाहन में किसी भी प्रकार की कमी/दुर्घटना अथवा जान–माल की हानि के लिये फर्म पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी।
17. यात्रा के दौरान वाहन खराब होने की स्थिति में तत्काल उसी स्थान पर अच्छा वाहन उपलब्ध कराना फर्म का उत्तरदायित्व होगा।
18. कार्य संतोषजनक न होने की दशा में बीजक की धनराशि में 20 प्रतिशत कटौती का अधिकार विभाग को होगा।
19. कार्य न करने की दशा में जमा बन्धक धनराशि जब्त करने का अधिकार विभाग को होगा।
20. वाहन चालक के ड्यूटी से नदारद होने/मोबाईल बन्द करने/शराब के नशे में पाये जाने की दशा में तद्‌दिनांक का वाहन किराया देय नहीं होगा एवं अग्रेत्तर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
21. फर्म द्वारा चालक के साथ ड्यूटी स्लिप पर वाहन सं0, चालक का मोबाईल नम्बर, दिनांक, समय, मीटर रीडिंग अंकित करना अनिवार्य होगा।
22. निदेशक, संस्कृति विभाग को समस्त निविदाएं निरस्त करने का अधिकार होगा।
23. वित्तीय तथा पात्रता/शर्तो से सम्बन्धित निविदा अलग–अलग लिफाफे में तथा दोनो लिफाफे एक साथ बडे लिफाफे में सील बन्द निविदा प्रस्तुत करें ।
24. विवाद के लिये न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

नोट– हमने विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। विभाग द्वारा मांगी गई सूचनायें हमारी फर्म द्वारा सही–सही दी गई हैं। यदि कोई जानकारी असत्य पायी गई तो फर्म इसके लिये स्वयः उत्तरदायी रहेगी।

(बीना भट्ट)
निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर..................................

नाम...